

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

~~प्रस्ताव सं-~~ 148458/2021

17 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें । (राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	CF. <u>अनापम गुप्ता</u> की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।
---	---

दिनांक :--- 16/11/21

स्थान

हस्ताक्षर Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
नाम U.P. Lucknow

सरकारी मोहर